न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर, बीदासर (चूरू)

पीठासीन अधिकारी : – श्योराम वर्मा आर. ए. एस.

न. मु. 8/2019

1 सुरेन्द्र कुमार पुत्र पूर्णाराम जाति लखेरा (लखारा) निवासी साजनसर तहसील बीदासर जिला चूरू

वादी

बनाम

1 सुमन पत्नी स्व. जगदीश पुत्री फतु जाति ढ़ाढी निवासी साजनसर तहसील बीदासर जिला चूरू

2 जोगेन्द्र पुत्र स्व. जगदीश जाति ढ़ाढी निवासी साजनसर तह. बीदासर जिला चूरू

3 सदाम पुत्र स्व. जगदीश नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता सुमन पत्नी स्व. जगदीश जाति ढ़ाढ़ी निवासी ग्राम साजनसर तहसील बीदासर जिला चूरू

4 हिना पुत्री स्व. जगदीश नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता सुमन पत्नी स्व. जगदीश जाति ढ़ाढ़ी निवासी ग्राम साजनसर तहसील बीदासर जिला चूरू

5 रसूल पुत्र स्व. जगदीश नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता सुमन पत्नी स्व. जगदीश जाति ढ़ाढ़ी निवासी ग्राम साजनसर तहसील बीदासर जिला चूरू

6 सबीना पुत्री स्व. जगदीश नाबालिग जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता सुमन पत्नी स्व. जगदीश जाति ढ़ाढ़ी निवासी ग्राम साजनसर तहसील बीदासर जिला चूरू

7 प्रमेश्वरी पुत्री विषालाराम पत्नी भंवरू जाति ढ़ाढ़ी निवासी चरला तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

8 कमली पुत्री विशालाराम पत्नी शंकरलाल जाति ढ़ाढ़ी निवासी पांचू तहसील नोखा जिला बीकानेर

9 विमला पुत्री विशालाराम पत्नी गणपतराम जाति ढ़ाढ़ी निवासी धातरी तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

10 औलकी पुत्री विशालाराम पत्नी मुस्ताक जाति ढ़ाढ़ी निवासी मुदंड़ा तहसील सुजानगढ़ जिला चूरू

11 सूलका पुत्री विशालाराम पत्नी रूस्तम जाति ढ़ाढ़ी निवासी मंगलुणा तहसील लक्ष्मणगढ़ जिला सीकर

12 गीता पुत्री विशालाराम पत्नी जेमाल जाति ढ़ाढ़ी निवासी खार छत्रगढ़ तह. छत्रगढ़ जिला बीकानेर

13 सेठी पुत्री विशालाराम पत्नी निजाम जाति ढ़ाढ़ी निवासी खार छत्रगढ़ तह. छत्रगढ़ जिला बीकानेर

14 राजस्थान सरकार द्वारा श्रीमान तहसीलदार, तहसील कार्यालय बीदासर

प्रतिवादीगण

"राजस्व वाद कृषि भूमि के खातेदारी विभाजन एवं चिर निषेधाज्ञा डिकी प्राप्ती हेतू हर प्रकार के लिखित एवं मौखिक प्रमाणों के आधार पर धारा 53, 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955"

उपस्थित :–

1 वादी – मोहम्मद शाहिद एडवोकेट

2 प्रतिवादी स. 14– पेरोकार राज.

लगातार...2 पर

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

सत्यमेव जयते
बीदासर जिला-चूरू

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक :– 22–01–2020

प्रकरण के सक्षिंप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी, प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 13 के सयुंक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त उपयोग उपभोग का खेत खसरा नम्बर 476/116 तादादी 1.8337 हेक्टेयर वाके रोही ग्राम साजनसर में सयुंक्त खातेदारी एवं कब्जा काश्त में चली आ रही है। जिसमें वादी सुरेन्द्र कुमार का 256/1015 हिस्सा अविभाजित है। वादी एवं प्रतिवादीगण का खान पान, लेन देन, रहन सहन सब अलग अलग है। वादी एवं प्रतिवादीगण 1 ता 13 का अपनी हिस्सा भूमि का मौखिक विभाजन आपसी तौर पर किया हुआ है अलग अलग सीवें कायम है। परन्तु वादगत खेत खसरा नम्बर 476/116 तादादी 1.8337 हैक्टेसर की खातेदारी राजस्व रेकार्ड में सयुक्त रूप से दर्ज चली आ रही है। जिसके कारण वादी को कई प्रकार की कानुनी आपत्तियों का सामना करना पड़ता है तथा प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 13 सींव को लेकर विवाद करते रहते है जिसके कारण वादी अपने हिस्से पांती व कब्जा काश्त के वादगत खेत में अपनी हिस्सा भूमि की खातेदारी का विधिवत आधार पर विभाजन करवा कर राजस्व रेकार्ड में खातेदारी अपने नाम से पृथक दर्ज करवा कर लगान का विभाजन करवाना चाहता है जिसका वादी कानूनी अधिकारी है। वादी का वादगत खेत में 256/1015 हिस्सा उक्त खसरे की दक्षिणी तरफ मूलाराम सुथार की खातेदारी भूमि के अगूणी तरफ चिपता है।

वादी ने प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 13 से कई बार आपसी तौर पर वादगत खेत की खातेदारी का विधिवत विभाजन करवाने के लिए कहा लेकिन वोह टालमटोल करते रहे। प्रतिवादीगण सख्या 1, ता 13 वादगत खेत की सींव को काट कर समाप्त कर देते है तथा कई बार आकर ऐलानिया धमकीया देते है कि वादगत खेत में तुम्हारा जो हिस्सा है उस पर हम जबरन कब्जा करेगें, प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 13 ने वादी के खिलाफ एक नाजायज गिरोह बना लिया है वादी शान्तिप्रिय, कानून में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है वादी ने प्रतिवादीगण से अन्तिम बार दिनांक 02–03–2019 को निवेदन किया कि वादगत खेत की खातेदारी का विधिवत विभाजन करवा देवें तथा मुझ वादी के कब्जा काश्त में दखत अन्दाजी नहीं करें का निवेदन किया तो प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 13 ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये तथा वादी को ऐलानिया धमकी दी की हम वादगत भूमि में तुम्हारे हिस्सा पर जबरन कब्जा करेगे तथा वादगत खेत में पक्का निर्माण करके रहेगे। वादगत खेत का जब तक विधिवत विभाजन नहीं हो जाता है जब तब प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इन्च पर कब्जा काष्त माना जाता है वादगत खेत का बिना विधिवत विभाजन कराये किसी भी सहखातेदार को वादगत खेत की खातेदारी शामिलाती होने के कारण भूमि पर मिलने वाले सरकारी फायदों को उठाने में परेशानीयों का सामना करना पड़ता है लेकिन प्रतिवादीगण सख्या 1 ता 13 पैसे वाले, राजनैतिक संरक्षण प्राप्त बलशाली व्यक्ति, भू–माफिया लोगो से सांठगांठ रखने वाले व्यक्ति है जिनका बलपूर्वक मुकाबला करने में वादी असमर्थ है।

लगातार......3 पर

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

Scanned by CamScanner

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी सख्या 1 स्वयं उपस्थित। प्रतिवादी सख्या 1 को कई अवसर दिये जाने के बावजूद कोई जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण प्रतिवादीया सख्या 1 की जवाबदेही बन्दर की गई। अन्य प्रतिवादीगण तमाम बाद विधिवत तामील के हाजिर नहीं आने पर एक पक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी सख्या 14 की और से पैरोकार राज ने प्रकरण में अपने जवाब में राज हित निहित नही होना अंकित किया। वादी की और से अपनी साक्ष्य में गवाह पी. डब्ल्यू–1 वादी स्वयं सुरेन्द्र कुमार के बयान कराये व दस्तावेज प्रदर्श–1 ता 2 प्रस्तुत कर प्रदर्शित कराये। वादी ने एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया की प्रतिवादी सख्या 1 से 6 की भूमि वादी द्वारा जरिये रजिस्ट्रर्ड विक्रय पत्र सम्पादित पंजीकृत दिनांक 31–7–2019 कार्यालय उप पंजीयक बीदासर के आधार पर वादी द्वारा खरीद की जाकर कब्जा प्राप्त किया जा चुका है जिसका नामान्तरकरण सख्या 689 दिनांक 14–8–2019 प्रक्रियाधीन है। जिसका कब्जा काश्त भी वादी के पूर्व खातेदारी के चिपता है। उक्त नव खरीद शुदा भूमि का भी विभाजन किया जाये। बहस उभय पक्षकारान् के विद्वान अधिवक्ता की सुनी गई एवं पत्रावली का भलीभांती अवलोकन किया गया। प्रतिवादी सख्या 1 से 6 द्वारा अपनी हिस्सा भूमि विक्रय की जाना एवं कब्जा सुपुर्दगी के उपरान्त नामान्तरकरण की कार्यवाही प्रकिया में होनाा प्रार्थना पत्र मय छाया प्रति विक्रय पत्र व चालू जमाबन्दी संवत् 2075–2078 दिनांकित 22.10.2019 से साबित है। अन्य प्रतिवादीगण बावजूद तामील के हाजिर अदालत उपस्थित नहीं आये। इसलिए वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर प्रारम्भिक निर्णय एवं डिक्री पारित की जाकर तहसीलदार बीदासर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने बाबत आदेशित किया गया। जिस पर तहसीलदार बीदासर द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। तहसीलदार बीदासर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव मुताबिक विभाजन किया जाकर राजस्व रेकार्ड अलग दर्ज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

वादी का वाद पत्र तहसीलदार बीदासर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के आधार पर इस प्रकार अन्तिम डिक्री जारी किया जाता है कि वादगत खेत खसरा नम्बर 476/116 रकबा 1.8337 हैक्टेयर वाके रोही ग्राम साजनसर का तहसीलदार बीदासर द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव राजीनामा के हिस्सा अलग अलग दर्ज किया जाकर अलग लगान कायम किया जाये। अन्तिम डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार बीदासर को अलग से लिखा जावे। पक्षकार खर्चा मुकदमा अपना अपना वहन करें।

यह निर्णय आज दिनांक 23.1.2020 को सरे इजलास कोर्ट बीदासर में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

Scanned by CamScanner